

20/11/2022

पत्रावली पत्र... P.O. साठव बन्य
कार्य में व्यव है। पत्रावली...
दिनांक... 21/11/2022... को पेश की।

21/11/2022

पत्रावली पत्रावली वहील शर्मा 340/ पत्रावली प्रगहनता से
अवलोकन करने पर पाया गया कि, शर्मा पत्र में वर्णित
धारानी में शर्मा अंतर स्वहस्ताक्षर दर्ज है। शर्मा शर्मा
पत्र में वर्णित भूमि का लक्ष स्वामी ना होकर स्वयं के स्विकार
लक्ष भूमि का ही अधिकारी है जिसका वर्तमान में विधिगत
विभाजन नहीं होने एवं अन्य खातेदारान की फलपत्रावली
इस प्रकार नहीं बनाया गया है। वहील शर्मा द्वारा
अखतारदारों को पत्रावली बनाने बाबत शर्मा पत्र
पेश करने हेतु समय माहागमा। पत्रावली आदेशिका
का अवलोकन करने पर पाया गया कि वहील शर्मा के
पूर्व में इस बाबत इसी प्रकार प्रदान किये जा - रहे हो
परन्तु बार - बार भ्रमर दिसे जाने के परवात भी
अधिकांश लक्ष पत्रावली में पत्रावली बनाने बाबत शर्मा
पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्ररनगत
धारानी का विधिगत विभाजन नहीं होने एवं
अन्य खातेदारान की फलपत्रावली बाबत पत्रावली
नहीं बनाये जाने के कारण शर्मा द्वारा प्रस्तुत शर्मा
अन्तर्गत धारा 128 LRA अनुतोषभोग्य का धीने
ले अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली कुलल शर्मा
दी (नम्बर से प्रम प्रेडर 6 प्रजिल 6 प्रतर ही)।

उपखण्ड कारी
मिनाय (अजमेर) राज